



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/575

दिनांक: -16/07/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (10) कम्पनियों का नाम **पुणे** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA8642753	U29309PN2022PTC211979	कनासेंट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9168535	U85100PN2022PTC211112	मनोमय मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
3	AA9125796	U55205PN2022PTC207899	ले फ्रिस्टो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9073514	U65999PN2021PLN202919	लक्ष्मीकल्याण निधि लिमिटेड
5	AA9094373	U93090PN2020PTC194897	सुप्रभा विश्वा एनवायरनमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8496935	U72900PN2019FTC185272	स्मिसिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8726409	U65999PN2019PLN186937	श्री मायाका देवी बहुउद्देशीय निधि लिमिटेड
8	AA9105357	U92412PN2013PTC149808	वर्चुअल एक्सपोज़िशन प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8621095	U72900PN2015PTC157228	प्रीसीमेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
10	AA9110138	U24232PN1998PTC013109	फ्रायंडलिच फार्मा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र